21.11.16

वादीगण द्वारा सांय 4:15 बजे तक कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा अधिवक्ता श्री पी०एन० भटेले। प्रतिवादी कमांक 2 एकपक्षीय। प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी साक्ष्य अनुपस्थित।

पूर्व नियत दिनांक 06.10.16 व 27.10.16 को भी वादी साक्ष्य उपस्थित नहीं रही है और आज भी साक्ष्य अनुपस्थित है। अतः आदेश 17 नियम 3 (बी) सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अधीन वाद वादीगण की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। व्यय तालिका बनाई जावे। प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / — 1—सी0जे0—2,गोहद